(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

…सा मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हीरालाल बनाम बिड़दाराम वगै0 मु0नं0 309 सन् 2021 जीसीएमएस नं.

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
…021	रिपोर्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री राजू सैनी एडवोकेट हाजिर। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए एवं प्रार्थी के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि **अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्ध किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 207, 200, 322, 320, 319, 373, 377, 381, 382, 399, 400 किता 11 रकबा 2.41 है. किस्म अवस्थित ग्राम जगतसिंहनगर पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना में 1/8 हिस्से की भूमि का बेचान नही करें तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।** **उक्त अन्तरिम टी.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी। भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना पर टी.आई आदेश लागू नही होगा।** प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस की तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी/प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामील की ठोस कार्यवाही करें तथा आदेश 39 नियम, 3 (क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आयन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन /वैकेंट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 03.09.2021 को पेश हो। (बृजेश कुमार) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सी.का.)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

03/9/2024 वकील प्रार्थी उपरा अप्रार्थी सं. 4,5,6,14,15, 21,27,28,29 की ओर से श्री देशराज शर्मा ने दावे में मैमो पेश किया। ~~[illegible] अप्रार्थी सं.~~ 1 से 3, 7 से 13, 16 से 20, 22 से 26, 30,31 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 23/9/2024 को पेश हो।

23/9/24 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/10/24 को पेश हो।

18/1 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/1/22 को पेश हो।

5/1 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने ... स्थगन कर ... पूर्व आदेशानुसार ... 24/3/22 ... पेश हो।

24/3/22 पत्रावली पेश हुई। वकील उपरा जवाब [illegible] हेतु अवसर चाहा। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 13/5/22 को पेश हो।

13/5/22 वकील उपरा अप्रार्थी सं. 4,5,6,14,15,21, 27 से 29 की ओर से श्री देशराज शर्मा एड० ने दावे में वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। पत्रावली दिनांक 7/6/22 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

28/6/22 वकील अभि० । अभियुक्त सं. 4, 5, 6, 14, 15, 21, 23, 28, 29 की ओर से [illegible] पेश हुआ। [illegible] की तिथि [illegible] वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 19/7/22 को पेश हो।

19/7 पत्रावली पेश हुई। वकील [illegible] PO [illegible] है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।

[illegible] पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/11/22 को पेश हो।

3/11/22 वकील अभि० । बहस हेतु अवसर चाहा वास्ते बहस पत्रावली दि० 16/11/22 को पेश हो।

16/11/22 वकील अभि० । बहस हेतु पुनः अवसर चाहा। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 6/12/22 को पेश हो।

6/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकील अभि० IPO [illegible] है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/1/23 को पेश हो।

10/1/23 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/3/23 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

309/2021 — प्रार्थना पत्र

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज — नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

हीरालाल v/s बिड़दारामवगैरह

12/2/24 वकुलाय उप०। बहस हेतु पुनः अवसर चाहा गया। अंतिम अवसर दिया जाता है वास्तेबहस पत्रावली दिनांक 22/2/24 को पेश हो।

22/2/24 वकुलाय उप०। बहस हेतु पुनः अवसर चाहा। अंतिम अवसर दिया जाता है वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 11/3/24 को पेश हो।

11/3/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 15/4/24 को पेश हो।

15/4/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वआदेशानुसार दिनांक 28/5/24 को पेश हो।

मुकदमा नम्बर— 309/2021
हीरालाल बनाम बिड़दाराम वगैरा

28/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों के बताया कि वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है। अप्रार्थीगण को माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है। ऐसी स्थिति में न्यायहीत में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्र्फम किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 207, 200, 322, 320, 319, 373, 377, 381, 382, 399, 400 कुल किता 11 कुल रकवा 2.41 हैक्ट. अवस्थित ग्राम जगतसिंहनगर पटवार हल्का गांवड़ी तहसील नीमकाथाना में 1/8 हिस्से की भूमि का बेचान नही करें तथा रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। तथा पूर्व में दिनांक 06.08.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्र्फम किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 14:47:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner